न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **298/2020** दायर दिनाँक **06.11.2020**

वादी

1. भुराराम पुत्र स्व0 तुलछाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी चुगनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 तुलछाराम उम्र 36 वर्ष
2. डालीदेवी पत्नि स्व0 तुलछाराम उम्र 80 वर्ष
3. संतोषदेवी पुत्री स्व0 भंवरराम उम्र 40 वर्ष
4. सुआदेवी पुत्री स्व0 तुलछाराम उम्र 54 वर्ष
5. छोटीदेवी पुत्री स्व0 तुलछाराम उम्र 52 वर्ष
6. मनीदेवी पुत्री स्व0 तुलछाराम उम्र 48 वर्ष
   समस्त जाति माली निवासी चुगनी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
7. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो0 अली शैरानी वकील वादी।
2. श्री फिरोज खां वकील प्रतिवादीगण।

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक **13.08.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम चुगनी, पटवार हल्का छापरी खुर्द, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 52 रकबा 11.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 167 15.1900 हैक्टे0, खसरा सं0 171 रकबा 14.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 173 रकबा 12.1800 हैक्टे0 कुल 54.05 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **14.08.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांकः राजस्व/2025/870 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः राजस्व/2025/870 दिनांक 10.07.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

राजस्व ग्राम चुगनी, पटवार हल्का छापरी [illegible] लेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर में स्थित खेत खसरा सं0 [illegible] रकबा 11.0300 हैक्टे0, खसरा सं0 167 15.1900 हैक्टे0, खसरा [illegible] हैक्टे0, खसरा सं0 173 रकबा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested

1800 हैक्टे0 कुल 54.05 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः राजस्व/2025/870 दिनांक 10.07.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः राजस्व/2025/870 दिनांक 10.07.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक 13.08.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:19:27 IST
Reason: SelfAttested